



कार्यालय आदेश संख्या— 1395


दिनांक 29-07-2019

H-VI/Engagement Retd. 4003/19 (P)

श्री ऐनुल हक, खानसामा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना, जो दिनांक 31/07/2019 को लेवल-4 से सेवानिवृत्त हुए हैं, को पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्प्रति बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी के पत्रांक 351 दिनांक 31/08/2010, कार्यालय आदेश संख्या-1581 दिनांक 30/12/2017 एवं-69 दिनांक 22/10/2018 में वर्णित प्रावधानों एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा के आधार पर नियोजन/संविदा विस्तार हेतु गठित समिति की दिनांक 24/07/2019 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा एवं तत्संबंध में आदेश के आलोक में संविदा के आधार पर खानसामा के पद पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना में सेवा निवृत्ति के उपरांत योगदान समर्पित करने की तिथि से एक वर्ष के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन नियोजित किया जाता है :-

1. श्री हक के नियोजन की अवधि एक वर्ष अर्थात् दिनांक 01/08/2019 से 31/07/2020 होगी, जिसे संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के आधार पर एवं कम्पनी के आवश्यकतानुसार निर्धारित शर्तों के अधीन आगे विस्तारित की जा सकेगी।
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी के कार्यालय आदेश संख्या- 1581 दिनांक 30/12/2017 के आलोक में सेवानिवृत्ति के समय अनुमान्य वेतन स्तर के आधार पर श्री हक को नियोजन की अवधि में प्रतिमाह पारिश्रमिक के रूप में 14,500/- (चौदह हजार पाँच सौ रूपया) देय होगा।
3. इन्हें कोई अन्य भत्ता एवं इस सेवा के लिए सेवान्त लाभ देय नहीं होगा।
4. श्री हक को कम्पनी के अन्य कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य आकस्मिक अवकाश एवं अधिसूचित अवकाश देय होगा। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. कम्पनी हित में श्री हक को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनी के अधीन कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
6. इनका कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में एक महीने की पूर्व सूचना देकर इनकी संविदा समाप्त की जा सकेगी।
7. नियोजन के समय श्री हक को निम्न कागजात समर्पित करना होगा:-
 - a) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
 - b) कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रतिपादित इस आशय का शपथ पत्र:-
 - i. कि सेवाकाल में श्री हक का कार्य आचरण संतोषजनक रहा है।
 - ii. कि सेवानिवृत्ति के समय श्री हक के विरुद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही/ फौजदारी, मुकदमा या गंभीर आरोप लम्बित नहीं है।
 - iii. कि किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

आदेश से



(राकेश रंजन)

विशेष कार्य पदा० (मा.सं. एवं प्रशा.)

ज्ञाप संख्या 3348 पटना /

दिनांक 29.07.2019.


प्रतिलिपि : सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी महाप्रबंधक (राजस्व)/ महाप्रबंधक- सह- मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता (असैनिक)/सभी उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/ प्रशा0)/सभी उपमहाप्रबंधक (राजस्व)/सभी उप महाप्रबंधक-सह-विद्युत अधीक्षण अभियंता/ उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)/कम्पनी सचिव/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/परियोजना प्रबंधक/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0सं0/ प्रशा0)/सभी अवर सचिव बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/ नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड/ बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


(राकेश रंजन)

विशेष कार्य पदा0 (मा.सं. एवं प्रशा.)
दिनांक 29.07.2019.

ज्ञाप संख्या , 3348 /

प्रतिलिपि : श्री ऐनुल हक, खानसामा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


(राकेश रंजन)

विशेष कार्य पदा0 (मा.सं. एवं प्रशा.)
दिनांक 29.07.2019.

ज्ञापांक 3348 , पटना /

प्रतिलिपि : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के तकनीकी सलाहकार/विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक (प्रशा0) के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


(राकेश रंजन)

विशेष कार्य पदा0 (मा.सं. एवं प्रशा.)